उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-156/2017/494/92-2-17-87आरई/2007

लखनऊ:: दिनांक:: 21 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राम प्रकाश गौड. तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में समय से निर्णय न लिए जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही उच्च स्तरीय निर्णय के फलस्वरूप समाप्त करनी पड़ी। इस संबंध मे यह भी आदेश प्राप्त हुए थे कि प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब के संबंध में निदेशालय एवं शासन स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाए।

2- उक्त निर्णय के क्रम में यह उचित था कि निदेशालय ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की आख्या एवं शासन स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में एक साथ गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके कार्यवाही का निर्णय लिया जाता किन्तु मामले में पुनर्विचारोपरान्त यह तथ्य प्रकाश मे आया कि शासन स्तर पर विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही नही की गई और निदेशालय की प्राप्त आख्या के आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/2017/405/92-2-2017-87आरई/2007, दिनांक 10.03.2017 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-1) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल-सहारनपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से विधि सम्मत नही था।

3- अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-1) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल-सहारनपुर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.03.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से एतदद्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-156/2017/494(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-1) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल-कानपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रा0अभि0वि0,उ0प्र0, लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0 उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

ht p://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।